



पुलिस मुठभेड दिनाँक 12-06-2026 थाना उत्तर जनपद फिरोजाबाद ।

अपर पुलिस महानिदेशक आगरा, जोन आगरा व पुलिस उपमहानिरीक्षक आगरा परिक्षेत्र आगरा के निर्देशन में एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद श्री आदित्य लांगहे के कुशल पर्यवेक्षण में थाना उत्तर पुलिस टीम द्वारा शातिर मोबाइल चोर 01. रघु उर्फ राघव पुत्र मलखान 02. राजा पुत्र राकेश को पुलिस मुठभेड के दौरान गिरफ्तार किया गया ।

- अभियुक्तगण के कब्जे से 03 मेबाइल फोन, 01 तमंचा 315 बोर, 01 खोखा कारतूस, 01 जिंदा कारतूस व घटना में प्रयुक्त 01 मोटरसाइकिल बरामद ।
- अभियुक्त रघु उर्फ राघव पुत्र मलखान पैर में गोली लगने से हुआ घायल ।
- घायल अभियुक्त को पुलिस अभिरक्षा में उपचार हेतु जिला अस्पताल भर्ती कराया गया...

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री आदित्य लांगहे के निर्देशन में जनपद में चोरी की घटनाओं के सफल अनावरण एवं वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल नेतृत्व में थाना उत्तर पुलिस टीम को मुखबिर खास द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि थाना उत्तर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 319/2026 धारा 304(2)/317(2) बीएनएस में वांछित अभियुक्तगण बच्चू बाबा स्कूल के पीछे, जलेसर रोड स्थित शनिदेव मंदिर के पास किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में हैं। सूचना पर थाना उत्तर पुलिस टीम द्वारा बच्चू बाबा स्कूल के पीछे, जलेसर रोड के पास चैकिंग की जा रही थी। चैकिंग के दौरान पुलिस टीम को मोटर साइकिल पर सवार 02 संदिग्ध व्यक्ति आते दिखाई दिये। पुलिस टीम द्वारा मोटर साइकिल सवार उक्त संदिग्ध व्यक्तियों को रुकने का इशारा किया गया तो संदिग्ध व्यक्ति पुलिस टीम को देखकर मोटर साइकिल को वापस मोड़कर भागने लगे, लेकिन हड़बड़ाहट में भागते समय मोटर साइकिल फिसलकर गिर गई। पुलिस टीम को नजदीक आता हुए तथा खुद को घिरता हुआ देखकर संदिग्ध व्यक्ति द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। थाना उत्तर पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी कार्यवाही में 01 संदिग्ध व्यक्ति के पैर में गोली लग गई जिससे वह घायल हो गया। घायल व्यक्ति की पहचान थाना उत्तर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 319/2026 धारा 304(2)/317(2) बीएनएस में वांछित अभियुक्त रघु उर्फ राघव पुत्र मलखान सिंह निवासी नगला विष्णु, थाना लाइनपार जनपद फिरोजाबाद के रूप में हुई। वहीं दूसरे अभियुक्त राजा पुत्र राकेश निवासी नगला विष्णु, थाना लाइनपार, जनपद फिरोजाबाद को मौके से गिरफ्तार किया गया। घायल अभियुक्त को पुलिस अभिरक्षा में उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तों के कब्जे से 01 अवैध तमंचा, 01 खोखा कारतूस, 01 जिन्दा कारतूस, 03 मोबाइल फोन (छिनेती के), घटना में प्रयुक्त 01 मोटरसाइकिल किया गया। अभियुक्तगण के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम-पता गिरफ्तारशुदा अभियुक्त:-

1. रघु उर्फ राघव पुत्र मलखान सिंह निवासी नगला विष्णु, थाना लाइनपार जनपद फिरोजाबाद ।
2. राजा पुत्र राकेश निवासी नगला विष्णु, थाना लाइनपार, जनपद फिरोजाबाद जनपद फिरोजाबाद ।

बरामदगी का विवरण-

1. 01 अवैध तमंचा 315 बोर
2. 01 खोखा कारतूस 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर
3. कुल 03 मोबाइल फोन (छिनेती के)

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास रघु उर्फ राघव -

1. मु0अ0सं0 498/2024 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना दक्षिण फिरोजाबाद ।
2. मु0अ0सं0 07/2025 धारा 304(2)/317(2) बीएनएस थाना जीआरपी फिरोजाबाद ।
3. मु0अ0सं0 36/2025 धारा 304(2)/317(2) बीएनएस व धारा 152 रेलवे एक्ट थाना जीआरपी फिरोजाबाद ।
4. मु0अ0सं0 37/2025 धारा 304(2)/317(2) बीएनएस व धारा 152 रेलवे एक्ट थाना जीआरपी फिरोजाबाद ।
5. मु0अ0सं0 319/2026 धारा 304(2) बीएनएस थाना उत्तर फिरोजाबाद ।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त राजा पुत्र राकेश -

1. मु0अ0सं0 26/2023 धारा 379/411/414 भादवि थाना जीआरपी फिरोजाबाद ।
2. मु0अ0सं0 01/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना जीआरपी फिरोजाबाद ।
3. मु0अ0सं0 37/2025 धारा 304(2)/317(2) बीएनएस व धारा 152 रेलवे एक्ट थाना जीआरपी फिरोजाबाद ।
4. मु0अ0सं0 319/2026 धारा 304(2) बीएनएस थाना उत्तर फिरोजाबाद ।

गिरफ्तारी / बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

1. प्र0नि0 श्री अन्जीश कुमार सिंह थाना उत्तर जनपद फिरोजाबाद ।
2. उ0नि0 अमित कुमार थाना उत्तर जनपद फिरोजाबाद ।
3. उ0नि0 अंकित कुमार थाना उत्तर जनपद फिरोजाबाद ।
4. हे0का0 807 नीलेश कुमार थाना उत्तर जनपद फिरोजाबाद ।
5. हे0का0 481 सदीप कुमार थाना उत्तर जनपद फिरोजाबाद ।
6. का0 1409 विजय कुमार थाना उत्तर जनपद फिरोजाबाद ।
7. का0 198 धर्मेन्द्र कुमार थाना उत्तर जनपद फिरोजाबाद ।
8. का0 760 अशोक कुमार थाना उत्तर जनपद फिरोजाबाद ।
9. का0 371 बीपी सिंह थाना उत्तर जनपद फिरोजाबाद ।